

राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र./सीजीजीएसटी/01/2017/4

रायपुर दिनांक : 11.08.17


—00—

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16(3) में निर्यातकों की सुविधा की दृष्टि से एकीकृत कर के संदाय के बिना बंध-पत्र/परिवचन पत्र के अंतर्गत किये गये निर्यात से संबंधित उपयोग नहीं किये गये इनपुट टैक्स के प्रतिदाय के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

उपरोक्त प्रावधान के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क में शर्तों, रक्षोपायों तथा प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। इसी अनुक्रम में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 16/2017 केन्द्रीय कर जारी किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्यातकों की सुविधा की दृष्टि से परिपत्र क्रमांक 44/16 भी जारी किया गया है, जिसकी कंडिका 7 निम्नानुसार है :-

It is further stated that the Bond/LUT shall be accepted by the jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner having jurisdiction over the principal place of business of the exporter. **The exporter is at liberty to furnish the bond/LUT before Central Tax Authority or State Tax Authority till the administrative mechanism for assigning of taxpayers to respective authority is implemented. However, if in a State, the Commissioner of State Tax so directs, by general instruction, to exporter, the Bond/LUT in all cases be accepted by Central tax officer till such time the said administrative mechanism is implemented.** Central Tax officers are directed to take every step to facilitate the exporters.

उपरोक्तानुसार निर्यातकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में आगामी निर्देश तक बिना एकीकृत कर के संदाय के किये गये निर्यात के अनुक्रम में नियमानुसार बंध-पत्र/परिवचन पत्र, इस हेतु अधिकृत केन्द्रीय कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।



(संगिता पी.)

राज्य कर आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर